संख्या : 1403 / XVII(1)–01 / 2005–03(13) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–1.

देहरादून, 08 सितम्बर 2005

**विषय : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 2005–06 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्रमांक | कक्षा | वर्तमान दरें प्रतिमाह (धनराशि रूपये में) | पुनरीक्षित दरें प्रतिमाह (धनराशि रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 से 5 तक | 25 | 50 |
| 2 | 6 से 8 तक | 40 | 80 |
| 3 | 9 से 10 तक | 60 | 120 |

2. कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। बढी हुई छात्रवृत्ति की दरों के आधार पर वित्तीय स्वीकृति के आदेश बाद में निर्गत किए जाएंगे।
3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–585 / XXVII(2) / 2005, दिनांक 05 सितम्बर 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 1403 (1) / XVII(1)–1 / 2005–03(13) / 2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।

संख्या : [illegible] / XVII(1)-1/2005-03(13)/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून, 03-सितम्बर 2005

**विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक पूर्व दशम छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 2005-06 से अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक पूर्व दशम छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

| क्र.सं. | कक्षा | वर्तमान दरें प्रतिमाह (धनराशि रूपये मे) | | पुनरीक्षित दरें प्रतिमाह (धनराशि रूपये में) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग | अल्पसंख्यक | अन्य पिछड़ा वर्ग | अल्पसंख्यक |
| 1 | 1 से 5 तक | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 2 | 6 से 8 तक | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 3 | 9 से 10 तक | 50 | 60 | 100 | 120 |

1. कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। बढ़ी हुई छात्रवृत्ति की दरों के आधार पर वित्तीय स्वीकृति के आदेश बाद में निर्गत किए जाएंगे।
2. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-718/XXVII(2)/2005, दिनांक 26 अगस्त 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : (1)/XVII(1)-1/2005-03(13)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. स्टाफ आफिसर-अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
7. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।

10-07 2011 10:00 FAX 01000710000 SECRETARY SAD UA 001

Attn : Mr. Tiwari Ji, AO.

प्रेषक,

संख्या–202 /XVII-1/2010-19(01)/2009

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01.

देहरादून, 26 फरवरी 2010.

**विषय : अनुसूचित जाति के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु "अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना" का क्रियान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–212/XVII-1/2009-19(01)/2009, दिनांक 24 फरवरी 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें। शासन के संज्ञान में आया है कि योजनान्तर्गत प्रथम किस्त हेतु निर्धारित रुपये 15,000 की धनराशि अत्यधिक कम होने के कारण आवास निर्माण पूर्ण कराने में व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं।

**2.** अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना" की रूपरेखा विषयक शासनादेश संख्या–212/XVII-1/2009-19(01)/2009, दिनांक 24 फरवरी 2009 के संलग्नक के "प्रस्तर–7–धनराशि आवंटन" को निम्नानुसार संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

"7. ***धनराशि आवंटन*** : आवास हेतु चयनित लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि दो किस्तों में भुगतान की जाएगी। मैदानी क्षेत्र के लाभार्थी को प्रथम किस्त के रूप में रुपये 23,500 एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रुपये 11,500; इस प्रकार कुल रुपये 35,000 की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थी को प्रथम किस्त के रूप में 23,500 एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रुपये 15,000; इस प्रकार कुल रुपये 38,500 की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।"

**3.** उक्त शासनादेश संख्या–212/XVII-1/2009-19(01)/2009, दिनांक 24 फरवरी 2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या– (1)/XVII-1/2010-19(01)/2009, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

[illegible] 01 /2009

[illegible]

[illegible]

पत्रांक [illegible] 01 देहरादून: 24 फरवरी 2009.

विषय: अनुसूचित जाति के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु "अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना" का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु "अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना" के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 5,00,00,000/-- (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

2. योजना की रूपरेखा इस आदेश के साथ संलग्न है।

3. उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान चयनित लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में किया जाएगा।

4. धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों को उनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में [illegible] धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो सके।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक "8000--आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि लेखा--201 समेकित निधि" के विनियोजन तथा अन्ततः "अनुदान संख्या 30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--01--अनुसूचित जातियों का कल्याण-800 अन्य व्यय-00--अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना" की मानक मद "42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक: यथोपरि।

[illegible]

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ--02 पर...

संख्या : 09/XXVII(1)/स.आ.नि./2009, दिनांक 24 फरवरी 2009.
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

/

(एल.एम. पन्त)
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

पृष्ठांकन संख्या : 212(1)/XVII-1/2009-01(C. D)/2004, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त संदाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03/01, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

/

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ–03 पर...

शासनादेश [illegible]/2009, दिनांक 24 फरवरी 2009 का संलग्नक

# "अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना"

1. परिचय / पृष्ठभूमि :

(1) आवास न्यूनतम आवश्यकता के साथ--साथ मूलभूत आवश्यकता भी है किन्तु अनुसूचित जाति वर्ग आवास सुविधा से अभी भी वंचित पाये जाते हैं।

(2) इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए पृथक से आवास की योजना का गठन एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

2. उद्देश्य :

(1) योजना का मूल उद्देश्य आवासहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को शत--प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

(2) योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करना है, जो ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं।

3. योजना की रूप--रेखा :

(1) यह योजना पूर्णतया अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित की जायेगी।

(2) योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।

(3) आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रुपये 38,500/-- एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु रुपये 35,000/--निर्धारित की जाती है।

(4) आवास के साथ शौचालय का निर्माण आवश्यक होगा।

(5) आवास का कुल क्षेत्रफल न्यूनतम 20 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है।

(6) योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की जायेगी।

4. पात्रता :

(1) इस योजना के लिए ऐसे अनुसूचित जाति के परिवार पात्र होंगे जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 32,000/-- अथवा इससे कम होगी (इस हेतु तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण--पत्र ही मान्य होगा) अथवा अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे।

(2) बी.पी.एल. प्रमाण--पत्र धारक को पृथक से आय प्रमाण--पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) इन्दिरा आवास योजना अथवा दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त लाभार्थियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(4) आवास निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

(5) भूमि क्रय हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमशः पृष्ठ--04 पर...

5. योजना का क्रियान्वयन :

(1) यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जायेगी।
(2) योजना अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत संचालित होगी।
(3) जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

6. लाभार्थी चयन एवं स्वीकृति प्रक्रिया :

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जायेगा।
(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में निवासरत् अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे।
(3) विकास खण्डवार लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों को तिथिवार क्रम से अभिलेखों में इंद्राज किया जायेगा।
(4) प्रारम्भिक चरण में आवेदन पत्रों का परीक्षण विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा ताकि ग्राम विकास की आवास योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की पहचान की जा सके।
(5) विकास खण्ड स्तर से समस्त आवेदन पत्र क्रमवार सूची के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किए जायेंगे।
(6) जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्रों की पात्रता जांच करने के उपरांत प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत से चयन की सूची तैयार करेंगे।
(7) सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला विकास अधिकारी इस चयन समिति के सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी संयोजक होंगे।
(8) आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालय तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

7. धनराशि आवंटन :

(1) आवास हेतु चयनित लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि दो किस्तों में भुगतान की जायेगी। प्रथम किश्त में रुपये 15,000/- की धनराशि दी जायेगी। आवास निर्माण पूर्ण करने की पुष्टि होने के उपरान्त ही दूसरी किश्त का भुगतान किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ–05 पर...

संख्या 1030/XVII-1/2011-01(98) 2011

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01 देहरादून दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

विषयः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह मे अनुदान योजना में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या 527/26-3-97-411881/93 दिनांक 25.10.1997 अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

2. शासन द्वारा विगत वर्षों में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत उक्त योजना के प्राविधानो को संशोधित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक आयसीमा तक वाले अथवा बी.पी.एल. परिवारों की अधिकतम 02 पुत्रियों के विवाह हेतु शासकीय अनुदान के रूप में रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) की एकमुश्त धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त योजना का वहन जिला योजना के स्थान पर राज्य योजना से किया जायेगा।

4. योजना की शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी।

5. कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6. प्रश्नगत योजना वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत है और शासन के निर्णयानुसार इस योजना को अब राज्य योजना के अन्तर्गत लिया जाना है, अतः वित्त विभाग के परामर्शानुसार इस हेतु विधायी स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही पृथक से कर ली जाएगी।

भवदीय

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठाकंन संख्या– /XVII-1/2011–01(98) 2011 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव,मा.समाज कल्याण मन्त्री,उत्तराखण्ड ।
5. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ,देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त ।
7. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(सी.एम.एस.बिष्ट)
अपर सचिव ।

निदेशालय,समाज कल्याण,उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रसं. /स.क./अनु.जाति शादी–बीमारी/2011–12 दिनांक दिसम्बर, , 2012

प्रतिलिपिः– 1. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी,उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 पी0 पन्त )
प्र.अपर निदेशक
कृते निदेशक।

534/5.2.2010

संख्या :915/XVII–02/2010–06(05)2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–02

देहरादून: दिनांक 01 फरवरी 2010

**विषयः–विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दर में वृद्धि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः– 459/XVII(1)–02/2005–01(10)/2005 दिनांक 17 जून 2006 जिसके द्वारा वृद्धावस्था/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्तमान में रु0 400/– प्रति लाभार्थी प्रति माह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुये विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत उन विकलांगों को जो "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995" की धारा–2(n) के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग हैं, को रु0 400/– के स्थान पर रु0 1,000/– प्रति लाभार्थी प्रति माह स्वीकृति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 17 जून 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4. उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें वित्तीय वर्ष 2009–10 में दिनांक 01.01.2010 से लागू होंगी।

5. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत जो लाभार्थी अच्छादित होंगे उनके लिये उक्त धनराशि रु0 1000/– में रु0 200/– का केन्द्रांश भी सम्मिलित होगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–596(P)XXVII(3)2009–10 दिनांक 19 जनवरी 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : /XVII–02/2010–06(05)2009 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त कुमांयू/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव

R- 1485/10.10.2008 पेंशन Q2

संख्या : 919 /XVII-1/2008-19(08)/2006

प्रेषक,

मनीषा पंवार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01.

देहरादून, 03 अक्टूबर 2008.

विषय :प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की बालिकाओं एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 'कन्याधन' योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1625/XVII(I)-1/2006–19(08)/2006, दिनांक 27 दिसम्बर 2006 के प्रस्तर–5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

"5. योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा चयनित प्रति छात्रा को रूपये 25,000/- की धनराशि 'कन्याधन' के रूप में स्वीकृत की जाएगी। धनराशि का भुगतान दो प्रकार से हो सकेगा। छात्रा को निम्न दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा–

(1) छात्रा के नाम से राष्ट्रीय बचतपत्र, अथवा

(2) धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में छात्रा के नाम से तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा (**Fixed Deposit**) के रूप में रखी जाए तथा जिस पर रूपये 206/- मासिक का ब्याज दिया जाएगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर मूलधन छात्रा को देय होगा। सावधि जमा प्रतिभूति के आधार पर छात्रा बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकती है।"

2. शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2006 के प्रस्तर–6 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:–

"6. ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 कमांक अंकित अथवा वार्षिक आय रूपये 15,976/–के आय प्रमाण पत्र तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 21,206/–की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के आधार पर मान्य होगा, संलग्न किया जायेगा।

3. इसी प्रकार सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2008 के परिशिष्ट–'क' (कन्याधन योजना–आवदेन का प्रारूप) के क्रमांक–8 के पश्चात् क्रमांक–9 निम्नानुसार स्थापित किया जाए–

"9. धनराशि के भुगतान हेतु छात्रा द्वारा चयनित विकल्प :
(1) राष्ट्रीय बचतपत्र, अथवा
(2) भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा।"

4. उक्त आदेश शैक्षिक सत्र 2007–08 में सम्पन्न हुए इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं पर भी लागू माना जायेगा।

5. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII-1/2008-19(08)/2006, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री/समस्त माननीय मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक), उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक), उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सेल्स अनुभाग, उत्तरांचल आंचलिक कार्यालय, 1, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून को उनके पत्रांक–2585, दिनांक 21 अगस्त 2008 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त शाखा प्रबन्धकों को यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
13. समस्त शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखण्ड।
14. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
15. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

21206 प्रश्न सं. 71
15976 ग्रामीण

संख्या 1625 / XVII(1)-1 / 06–19(08) / 2006

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग--1

देहरादून, दिनांक: 27 दिसम्बर 2006.

विषय : प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जाति की बालिकाओं एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 'कन्या धन' योजना के सम्बन्ध में।

Sri Nautiyal

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 989 / XVII(1)-1 / 06–19(08) / 2006 दिनांक 19 सितम्बर, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनकी बालिका द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उसके नाम से रू. 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र "कन्या धन" के रूप में उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले समस्त परिवारों की बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जाय।

क्रमशः ............ 2 पर

3. योजनान्तर्गत बालिकाओं का चयन एवं अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक जनपदीय समिति का गठन किया जायेगा :

| | |
|---|---|
| (1) जिलाधिकारी | : अध्यक्ष |
| (2) मुख्य विकास अधिकारी | : सदस्य |
| (3) जिला शिक्षा अधिकारी | : सदस्य |
| (4) जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. | : सदस्य |
| (5) जिला समाज कल्याण अधिकारी | : सदस्य सचिव |

3— योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जातियों एवं गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की ऐसी बालिकाऐं पात्र होंगी, जिन्होंने राज्य में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। योजना के अन्तर्गत संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की छात्राएं पात्र होंगी, परन्तु व्यक्तिगत छात्रा के मामलों में छात्रा अविवाहित होनी चाहिए तथा उसकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा चयनित प्रति छात्रा को रू. 25,000/— की धनराशि "कन्या धन" के रूप में स्वीकृत की जायेगी, जिसका भुगतान छात्रा को राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

6. आमदनी का प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रजिस्टर के आधार पर बी.पी.एल. क्रमांक अंकित करते हुए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न करना आवश्यक होगा। शहरी क्षेत्र में यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो का संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः ..... 3 पर

6– पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होंगी।

7– एक दम्पति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा।

8– योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन–पत्र 'परिशिष्ट–क' में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन–पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की जायेगी। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बालिकाओं का चयन तथा ..नित सूची का प्रकाशन 31 अगस्त तक कर दिया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया 30 सितम्बर तक पूर्ण कर ली जायेगी।

9– योजना का कार्यान्वयन जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑडिट एवं निरीक्षण हेतु अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।

10– योजना का तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी अवगत कराया जाय कि यदि उक्त सन्दर्भित संशोधनानुसार इस योजना को लागू किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कितनी संख्या में छात्राऐं लाभान्वित होंगी तथा शासन पर कितना व्यय–भार आयेगा। कृपया तद्नुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु मांग यथाशीघ्र शासन को प्रेषित की जाये।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः .............. 4 पर

1628 संख्या: ...(1)/XVII(1)-1/06-19(08)/2006/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. सचिव, शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक), उत्तरांचल शासन।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक), उत्तरांचल।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
14. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( धीरेन्द्र सिंह दताल )
उप सचिव।

... Kanya Dhan

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : 17 जून, 2006

विषयः वृद्धावस्था/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5456/स.क./प्रस्ताव-पेंशन/2005-06 दिनांक 7मार्च, 2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वृद्धावस्था/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान दर रू. 250/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए रू. 400/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार बढाई गई दरें दिनांक 1अप्रेल, 2006 से प्रवृत्त होंगी।

3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत उक्त धनराशि रू. 400/- में रू. 200/- का केन्द्रांश सम्मिलित है।

4. उक्त योजनाओं के अन्तर्गत दरों के निर्धारण के संबंध में पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या 336/XVII(1)-2/2005-01(10)/2005 दिनांक 30.7.2005 को एतद्द्वारा अतिक्रमित समझा जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-250/XXVII(3)/2006 दिनांक 02जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( राधा रतूड़ी )
सचिव।

संख्या : 459(1)/XVII(1)-2/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
4. ~~अपर आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।~~
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( स्नेहलता अग्रवाल )

R – 2221

संख्या: 936/XVII(1)-02/2006-39 (विविध)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण उत्तरांचल,
हल्द्वानी – नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तरांचल,
देहरादून।

3. समस्त जिलाधिकारी।

4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी।

समाज कल्याण अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक: 28 दिसम्बर ,2006

विषय: समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान योजना एवं विकलांग भरण–पोषण अनुदान को सार्वभौमिक किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान योजना एवं विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से उपरोक्त तीनों पेंशन योजनाओं को सार्वभौमिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान योजना एवं विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के लिए निम्नलिखित मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुये पात्र व्यक्तियों को उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता हेतु मानक :–

1. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
2. ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 1000/– रुपये तक हो।
3. ऐसे व्यक्ति जिनके न्यूनतम 20 वर्ष की आयु के पुत्र का भी आय का कोई साधन न हो।

विधवा भरण–पोषण अनुदान योजना की पात्रता हेतु मानक :–

1. ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय न्यूनतम 1000/– रुपये तक हो।
2. ऐसे व्यक्ति जिनके 20 वर्ष की आयु के पुत्र की भी आय को कोई साधन न हो।

विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना की पात्रता हेतु मानक :–

1. ऐसे व्यक्ति जिसकी आय का कोई साधन नहीं है।
2. ऐसे व्यक्ति जिनके न्यूनतम 20 वर्ष की आयु के पुत्र का निम्न श्रेणी में कोई सम्बन्धी नहीं है:
   (क) पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र) (ख) पति, पत्नी।
3. ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत हो।

3. कृपया उपरोक्तानुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान योजना एवं विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना हेतु पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार आच्छादित करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

R — १२९१



4. यह भी उल्लेखनीय है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या:1547/36–चार/90 दिनांक 30 मार्च, 1990, एवं शासनादेश संख्या: 2013/26–2–99–11 26/98 दिनांक 4 अगस्त, 1999 निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान' योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या:1610/60–3–99–3444/99 दिनांक 13 अगस्त, 1999 एवं शासनादेश संख्या:1066/60–3–2000–377/99 दिनांक 4 सितम्बर, 2000 तथा नेत्रहीन, मूक–बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने की, उत्तर प्रदेश की नियमावली में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं, वह यथावत लागू रहेगी और उसके अनुरूप ही स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। इनमें यथासमय संशोधन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 136/XVII(1)-02/2006–39(विविध)/2002 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. महालेखाकार, उत्तरांचल — देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
प्रमुख सचिव श्रम, सेवा. एवं समाज कल्याण,
संख्या /२३ /पी.एस./प्र.स.श्र.से.स./2010
देहरादून दिनांक 12 जनवरी, 2011

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः— न्याय पंचायतवार पेंशनरों के खाता खोले जाने के संबंध में।

दिनांक 11.01.2011 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति का भुगतान खातों के माध्यम से किया जाय।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक न्याय पंचायत/विकासखण्ड स्तर पर पेंशनरों/छात्रवृत्ति के खाते 15 दिन के अन्दर अर्थात 27 जनवरी 2011 तक अनिवार्य रूप से खुलवाना सुनिश्चित करें तथा जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित कर सूचना प्रत्येक सप्ताह श्री सत्ये सिंह रावत, उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून जिन्हें राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है, के माध्यम से शासन को भेजें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण की जाय।

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, वित्त,उत्तराखण्ड शासन।
2— प्रमुख सचिव, नियोजन,उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड ।
4— निदेशक, समाज कल्याण,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)
5— समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड।
7— समस्त लीड बैंक अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8— समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
9— श्री एस0एस0 रावत,उप महा प्रबन्धक,उत्तरा0 बहु0 वित्त एवं विकास निगम

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव

382

संख्या– XVII(1)-2/2007-39(विविध)2002

प्रेषक

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 12 जुलाई, 2007

विषय : समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान, निराश्रित विकलांग भरण–पोषण अनुदान तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना में 20 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के पुत्र/पौत्र होने की स्थिति में अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान, निराश्रित विकलांग भरण–पोषण अनुदान तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना में अन्यथा पात्र होते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को पेंशन योजना से वंचित रखा जाता है, जिनके पुत्र अथवा पौत्र 20 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु का है, अथवा हो गया है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या : 936/XVII(1)-2/2006-39(विविध)2002 दिनांक 28.12.2006 द्वारा स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी अभ्यर्थी का पुत्र अथवा पौत्र 20 वर्ष या इससे अधिक आयु का है किन्तु गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उसे सम्बन्धित पेंशन योजना से वंचित न रखा जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी दशा में पात्र अभ्यर्थी को मात्र इस आधार पर पेंशन योजना से वंचित न रखा जाए कि उसका पुत्र अथवा पौत्र 20 वर्ष का है, अथवा हो गया है। अपितु 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र अथवा पौत्र जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उसे पेंशन अनुमन्य की जाए। कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

R– 8572/10.2.2010

संख्या : 57 /XVII–02/2010–06(91)/2006

प्रेषक,

**मनीषा पंवार,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 09 फरवरी, 2010

**विषयः– विकलांग पेंशन की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 459/XVII(1)–02/2005–01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकलांग भरण–पोषण अनुदान दर रु0 400/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विकलांग भरण–पोषण योजनान्तर्गत वर्तमान दर रु0 400/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह में वृद्धि करते हुये रु0 600/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्तानुसार बढ़ायी गई दरें 1 अप्रैल, 2010 से लागू होंगी।

3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS) के अन्तर्गत जो लाभार्थी अच्छादित होंगे उनके लिये उक्त धनराशि रु0 600/– में रु0 200/– का केन्द्रांश भी सम्मिलित होगा।

4. उक्त शासनादेश दिनांक 17 जून, 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5. विकलांग लाभार्थियों के आय व बी0पी0एल0 स्टेटस का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जायेगा तथा 5 प्रतिशत लाभार्थियों का रेण्डम सैंपल के आधार पर विकलांगता का सत्यापन भी कराया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–779(P)XXVII(3)2009–10दिनांक 08 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

DPO. / Smt. Thapa

10/2

Letter Febuary 2010

AP

ंकन संख्या : /XVII–02/2010–06(01)2006 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त कुमांयू/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव

संख्या : /XVII–2/2011–01(02)/2010

प्रेषक,

बी.आर.टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक 04 जनवरी, 2010

समाज कल्याण अनुभाग–2

**विषयः–समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन वितरण हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम समाज निगरानी समिति के गठन हेतु आदेश निर्गत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित वृद्ध, विधवा व विकलांग पेंशन का वितरण लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते तथा विशेष परिस्थितियों में मनीऑर्डर के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है। किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि अनेक लाभार्थियों को पेंशन का वितरण समय पर नहीं हो पा रहा है। लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही ग्राम सभा की खुली बैठक में की जाती है। अतः लाभार्थियों को पेंशन वितरण की निगरानी किये जाने हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम प्रधान | – | अध्यक्ष |
| 2. | उप प्रधान (ग्राम पंचायत) | – | सदस्य |
| 3. | ग्राम पंचायत विकास अधिकारी | – | सदस्य सचिव |
| 4. | आशा कार्यकर्ती | – | सदस्य |
| 5. | आंगनबाड़ी कार्यकर्ती | – | सदस्य |
| 6. | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | – | सदस्य |
| 7. | लेखपाल/पटवारी | – | सदस्य |

उक्तानुसार गठित समिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य अवश्य रहेगा। जिस ग्राम सभा में इन वर्गों का सदस्य उपलब्ध न हों उनमें इन वर्गों में से कम से कम एक सदस्य आमन्त्रित किया जायेगा। समिति की बैठक पेंशन वितरण के समय भी आहूत की जा सकेगी। इस समिति द्वारा ग्राम सभा के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा पेंशन वितरण की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जायेगी। लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्व की भांति ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से ही की जायेगी। यह समिति ग्राम सभा में चल रही इन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) भी करेगी।

उक्त शासनादेश पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी.आर.टम्टा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 05 /XVII–2/2011–01(02)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

Letter October 2010

4. निदेशक,, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी.आर.टम्टा)
अपर सचिव

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून : 30 जुलाई, 2005

विषय : विकलांग / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन की दरों में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1076 / स.क. / प्रस्तावित मांग / 2005–06 दिनांक 22जून, 2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विकलांग / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन की वर्तमान दर रू. 125 / – प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए रू. 250 / – प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार बढाई गई दरें दिनांक 1अप्रेल, 2005 से प्रवृत्त होंगी।

3. विकलांग / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन की दरों के निर्धारण के संबंध में समस्त पूर्ववर्ती शासनादेशों को एतद्द्वारा अतिक्रमित समझा जाएगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–527 / XXVII(2) / 2005 दिनांक 29जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( राधा रतूड़ी )
सचिव।

संख्या : 336(1) / XVII(1)-2 / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊं / गढवाल, नैनीताल / पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, नैनीताल।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( के. एस. दरियाल )
अपर सचिव।

संख्याः अ0स0–स0क0/मी0–3/04

के0एस0दरियाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
हरिद्वार।

समाज कल्याण विभाग। देहरादूनः दिनांकः दिसम्बर 30/2004

विषयः– वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा पैंशन वितरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तीनों प्रकार की योजनाओं में माह सितम्बर में प्रथम किश्त तथा माह नवम्बर में द्वितीय किश्त का भुगतान पैंशनधारकों को भुगतान किया जाना अनिवार्य है। प्रथम किश्त में माह अप्रैल से माह सितम्बर तक तथा द्वितीय किश्त में माह अक्टूबर से माह मार्च तक पैंशन भुगतान किया जायेगा। जिन पैंशनधारकों को अभी तक एक भी किश्त पैंशन का भुगतान नहीं हुआ है उनको दोनों किश्तों का भुगतान इसी मांह एक साथ किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार माह नवम्बर में द्वितीय किश्त का आहरण वितरण बिल पारित कर दिया जाय।

भवदीय,

(के0 एस0दरियाल)
अपर सचिव।

संख्याः469/अ0स0–स0क0/मी0–3/2004,उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त जिला समाज कल्याण उत्तरांचल/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तरांचल।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4– निदेशक समाज कल्याण, हल्द्वानी–नैनीताल।

(के0 एस0दरियाल)
अपर सचिव।

संख्या /XVII-2/2008-369(स0क0)/2002

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-02 देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर, 2008

विषय:-दिनांक **29-8-2008 को ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में आयोजित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन की रिव्यू बैठक के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि दिनांक 29-08-2008 को ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में इन्दिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित एक रिव्यू बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है :-

1- समस्त बी0पी0एल0 65 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जाये।
2- पेंशन का लाभ पात्र पति व पात्र पत्नी दोनों को दिया जाये ।
3- शहरी क्षेत्रों में बी0पी0एल0 लाभार्थियों का चिन्हीकरण नगर विकास विभाग की बी0पी0एल0 सूची के आधार पर किया जाये।
4- ऐसे पात्र व्यक्ति जो किसी कारणवश बी0पी0एल0 सूची में सूचीबद्ध नहीं हो सके हैं, उनको अपील प्रकिया के आधार पर बी0पी0एल0 सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाये।
5- समस्त बी0पी0एल0 लाभार्थियों का चयन/आच्छादन की कार्यवाही की सूचना से भारत सरकार को 30-10-2008 तक प्रत्येक अवस्था में अवगत कराया जाना है।
6- पेंशन धनराशि को बैंक अथवा पोस्ट आफिसों में खाते खुलबाकर वितरित किया जाये।
7- पेंशन का वितरण यथा सम्भव मासिक अथवा कम अन्तरालों पर किया जाये।
8- वृद्धा पेंशन पा रहे समस्त लाभार्थियों की संख्या जो निदेशालय द्वारा 1,12,929 सूचित की गयी है, तथा यह संख्या भारत सरकार द्वारा भिन्न सूचित की गयी है, का वास्तविक आकलन/मिलान करते हुए आच्छादन किया जाना है।
9- भारत सरकार द्वारा गत 3 वर्षो में इस योजना के तहत आवंटित धनराशि की प्राप्ति, वितरण व अवशेष का मिलान कर लिया जाये ।
10- उक्त योजना में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित बजट शामिल है, के सम्बन्ध में अन्नपूर्णा एवं पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में वास्तविक सही आकड़े उपलब्ध कराये जायें ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर तत्काल वांछित सूचनाये प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही क्रमांक 2 पर उल्लिखित बिन्दु के सम्बन्ध में सुस्पष्ट / परिपक्व प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पत्रांक 2952 / स०क० / IGNAPS / 2008-09 दिनांक 20.10.2008

प्रतिलिपि समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपरोक्तानुसार परिपालन हेतु तथा 30.X.08 तक प्रत्येक दशा में सूचना प्रेषित करने हेतु प्रेषित। 6.X.08 से साप्ताहिक सूचना भेजने के शासन के निर्देशों का भी आपके द्वारा पालन नहीं किया गया है, कृ० समयबद्ध कार्यवाही कर 30.X.08 तक सूचना भेजना सुनिश्चित करें।

20.10.08

अपर निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या 1393/XVII–2/2011–10(01)/2009

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

**विषयः–परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान प्रदान किये जाने विषयक संलग्न नियमावली–2011 प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह नियमावली 01 अप्रैल, 2012 से लागू होगी।

3. यह योजना लक्ष्य आधारित होगी। प्रत्येक जनपद में ऐसी 50 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा, जिसमें आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। लाभार्थियों के पात्रता, चयन व निरस्तीकरण आदि के सम्बन्ध में संलग्न नियमावली में व्यवस्था की गई है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्याः /XVII–2/2011–10(01)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

Letter | December 2011 |

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान/पेंशन प्रदान किये जाने विषयक नियमावली–2011 की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराये जाने हेतु इसका प्रकाशन दो राष्ट्रीय सामाचार पत्रों तथा शासकीय वेब–साईट के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को उक्त नियमावली–2011 की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ कि प्रेषित की इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां समाज कल्याण अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

**निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।**

पत्रांक संख्याः 3255 /स0क0/पेंशन योजना/15/2011–12 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपि– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त शासनादेश के साथ परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान योजना की नियामावली वर्ष–2011 की प्रति संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( आर0पी0 पन्त ) 23.12.201

अपर निदेशक,
कृते निदेशक।

Letter December 2011

complaint

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या/407/XVII–2/2011–10(01)/2009
देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

## परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011

1. **संक्षिप्त नाम:**

इस नियमावली का नाम "परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011" होगा।

2. **उद्देश्य/प्रयोजन:–**

उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एंव निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान व्यक्तिगत रुप से मासिक सहायता उपलब्धे कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है

3. **परिभाषा:–**

निराश्रित परित्यक्ता महिला की श्रेणी में ऐसी विवाहित महिलाओं को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें शादी के उपरान्त 07 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया हो और पति लापता हो गया हो अथवा पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो तथा उसके भरण–पोषण हेतु निर्वाह भत्ता स्वयं अथवा न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदान नहीं किया जा रहा हो, परित्यक्ता महिला ससुराल अथवा अपने पैतृक ग्राम में से किसी भी स्थान पर निवास कर रही हों पर विचार किया जायेगा। ऐसी महिलाऐं जिनके पति मानसिक रुप से विक्षिप्त होने के कारण कोई काम काज करने में असमर्थ हों तथा अपने परिवार का भरण–पोषण में अक्षम हो चुके हों । ऐसी महिला जो किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक परिस्थितियो वश या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शारीरिक अक्षमता (किन्तु विकलांगता की श्रेणी में न आ पा रही हो) के कारण शादी से वंचित रह गयी 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निराश्रित अविवाहित की श्रेणी में रखा जायेगा।

4. ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जावेगी।

5. **स्वीकृतिः–**

निराश्रित परित्यक्ता विवाहिता महिला ,मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं अविवाहित महिला भरण–पोषण अनुदान की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी जबकि नगरीय क्षेत्र में स्वीकृति का अधिकार उप जिलाधिकारी अथवा नगर मजिस्ट्रेट मे निहित होगा।

6. **प्रक्रिया :–**

ग्रामीण क्षेत्र में पात्र महिलाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के चयन के उपरान्त प्रस्ताव पारित कर निर्धारित आवेदन पत्र भर कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान करेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्राजात/प्रमाण–पत्र संलग्न किये जायेगें।

1 फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा कर।

2 परिवार रजिस्टर की नकल।

3 बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त)बी0पी0एल0 चयनित परिवार में न होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा दिया गया वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।

4 परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 7 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 7 वर्ष से अधिक समय से लापता होने की पुष्टि तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

5. सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी मानसिक विक्षिप्तता का प्रमाण–पत्र शहरी क्षेत्र में निवास, उम्र आदि की पुष्टि नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम कार्यालय द्वारा की जायेगी। जबकि मासिक आय की पुष्टि तहसीलदार द्वारा की जायेगी। शादी की अवधि 7 वर्ष

से अधिक होने तथा लापता पति की अवधि 7 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि भी उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

7. **अनुदान की राशिः–**

उपरोक्त तीनों श्रेणी की पात्र महिलाओं को रु0 400.00 प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान किया जावेगा।

8. **भुगतान प्रक्रियाः–**

ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा। सूची ग्रामवार, विकास खण्डवार एवं नगरवार तैयार की जायेगी। शासन से प्राप्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते अथवा डाकघर में खोले गये खाते में छमाही किस्तों में प्रेषित किया जायेगा जिसकी सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नगर अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. **सत्यापन, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं निरस्तीकरणः–**

इस योजना के लाभार्थियों के जीवित होने अथवा योजना के लिए पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि हेतु प्रत्येक छमाही में समाज कल्याण विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसील के माध्यम से सत्यापन की जायेगी। सत्यापन के फलस्वरूप जिनकी पात्रता समाप्त हो जाती है उनके भरण–पोषण अनुदान की सुविधा को निरस्त कर दिया जायेगा। चूंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के संचालन हेतु उत्तरदायी है। इसलिए ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र से प्राप्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के परीक्षण का अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। इस प्रकार किसी भी कारणवश गलत स्वीकृत आवेदन पत्र अथवा छमाही सत्यापन के बाद अपात्र पाये गये आवेदकों के भरण–पोषण अनुदान को निरस्त करने का अधिकार भी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। आवेदन पत्र की पर्याप्त प्रतियॉ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट में भी परिचालित किया जायेगा ताकि सीधे वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए लाभार्थी आवेदन कर सके अथवा सादे कागज पर स्वच्छ

पात्रताः–

(क) **परित्यक्ता विवाहित महिलाः**

1 महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो किन्तु शादी के बाद पति द्वारा छोड़े जाने का कम से कम 7 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो।

2. पति के लापता होने पर लापता अवधि भी 7 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए एवं पति के लापता की पुष्टि तहसीलदार/उप जिलाधिकारी के स्तर से की जानी चाहिए।

3. स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206/– वार्षिक आय से अधिक नही हो ।

4. यदि ऐसी महिला के सन्तान है तो उनकी उम्र 20 वर्ष से कम हो, यदि 20 वर्ष से अधिक उम्र होने पर ऐसे पुत्र अथवा पुत्री स्वयं भी बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हो उनका अथवा पूरे परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206/– वार्षिक आय से अधिक नही हो।

5. यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृति उपरान्त लापता पति वापस आता है तो अनुदान सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। विवाहिता की सन्तान यदि भविष्य में बी0 पी0 एल0 श्रेणी में नही रह जाते है एवं उनकी वार्षिक आय निर्धारित आय से वृद्धि हो जाती है तो भरण–पोषण की सुविधा बन्द कर दी जायेगी।

6. ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

(ख) **मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी को भरण–पोषण अनुदान की पात्रताः–**

1. उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।

2. स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु015976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206.00 वार्षिक आय से अधिक नही हो यदि सम्बन्धित महिला का परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी में आता हो अथवा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206.00 से अधिक नहीं हो ।

3. ऐसी महिलाए जिनके पति मानसिक रुप से विक्षिप्त हों और मानसिक विक्षिप्तता के कारण उनके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा रहा हों।

4 यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त महिला का पति उपचार के बाद अपने परिवार का भरण–पोषण करने में सक्षम हो जाता है, तो अनुदान की सुविधा को समाप्त कर दिया जायेगा।

5 ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/ भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

6 सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा संबंधित महिला के पति को मानसिक रुप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हों।

**(ग) अविवाहित महिला हेतु भरण–पोषण अनुदान की पात्रता:–**

1. उम्र 40 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।

2 स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21206/–वार्षिक आय से अधिक नही हो यदि माता–पिता पर आश्रित है तो माता–पिता बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हो अथवा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु.15976 तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21206/– से अधिक नहीं हो।

3 यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त महिला द्वारा शादी की जाती है तो अनुदान सुविधा को समाप्त कर दिया जायेगा।

अक्षरों में लिखित आवेदन पत्र भी मान्य होगा। शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र अधिशासी अधिकारी नगर के कार्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

**उत्तराखण्ड शासन**
**समाज कल्याण अनुभाग–2**
**संख्या/407/XVII–2/2011–10(01)/2009**
**देहरादून दिनांक/5 दिसम्बर, 2011**

उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान/पेंशन प्रदान किये जाने विषयक नियमावली–2011 की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराये जाने हेतु इसका प्रकाशन दो राष्ट्रीय सामाचार पत्रों तथा शासकीय वेब–साईट के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को उक्त नियमावली–2011 की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ कि प्रेषित की इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां समाज कल्याण अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

संख्या : 857 / स.क.–02–430(स.क) / 2002

प्रेषक,

आर. के. वर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तरांचल देहरादून

समाज कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2002

विषयः नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग, चम्पावत, तथा बागेश्वर में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 320 / स.क. / एस.एन.डी. / 2001–02 दिनांक 27.03.2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय समाज कल्याण अधिकारी रूद्रप्रयाग, चम्पावत तथा बागेश्वर के कार्यालयों की स्थापना एवं पदों का सृजन तथा छः अन्य जनपदों यथा अल्मोडा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ, चमोली, पौडी गढवाल, तथा टिहरी गढवाल में वरिष्ठ सहायक के निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, से दिनांक 28 फरवरी 2003 तक के लिये सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

| क्र.स. | पदनाम | वेतनमान | प्रत्येक जनपद के लिए अनुमन्य पदों की संख्या | स्वीकृत किये जाने वाले पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 6500–10500 | 01 | 03 |
| 2. | सहा0 जिला समाज कल्याण अधिकारी | 4500–7000 | प्रत्येक विकासखण्ड स्थर पर एक | 10 |
| 3. | वरिष्ठ सहायक | 4500–7000 | 01 | 09 |
| 4. | वरिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री ओपरेटर | 4000–6000 | 02 | 06 |
| 5. | लेखा लिपिक सह डाटा इन्ट्री ओपरेटर | 4000–6000 | 01 | 03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | कनिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री ओपरेटर | 3050–4590 | 01 | 03 |
| 7. | चपरासी / स्वच्छकार / चौकीदार | 2550–3200 | 02 | 06 |

1. उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जायेगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

2. स्वीकृत किए जा रहे पद के धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी समयानुसार देय होगें।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुदान संख्या –15 के लेखा शीर्षक 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछडे– 01– अनुसूचित जातियों का कल्याण – 001– निदेशन तथा प्रशासन– 05–जिला कार्यालयों का अधष्ठिान के सुसंगत प्राथमिक इकाइयो के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः 1240 / वि.अनु.–2 / 2002 दिनांक 11.07.02 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर.के.वर्मा)
सचिव

संख्या 857 (1) / स.क.–2002– तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक कोषागार उत्तरांचल देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग –2 उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अनुसचिव

संख्याः 779–स.क–03–96(समाज कल्याण)/02

प्रेषक,

एस. के. मुटटू
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उत्तरांचल हल्द्वानी(नैनीताल)

समाज कल्याण अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 28 अगस्त, 2002

विषयः जनपद बागेश्वर में राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कार्यालय की स्थापना एवं पदों के सृजन का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल के पत्र संख्याः 3700/स.क./एस.एन.डी./02–03 दिनांक 19.3.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, नव सृजित जनपद बागेश्वर में राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कार्यालय की स्थापना एवं निम्न विवरणानुसार उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में अस्थाई पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो, वशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, से दिनांक 29–02–2004 तक के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

| क.सं. | पदनाम | वेतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अधीक्षक | 5000–150–8000 | 01 |
| 2 | कम्पाउण्डर | 4500–125–7000 | 01 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक | 3050–75–3950–80–4590 | 01 |
| 4 | चतुर्थ श्रेणी | नियत मानदेय पर | 01 |
| | | योग :– | 04 |

2 चतुर्थ श्रेणी का कार्य नियत मानदेय/वाह्य एजेन्सी द्वारा कराया जाएगा।

3 उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार ही की जायेगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इन्हें बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4 स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते भी समयानुसार देय होगें।

4 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–15 लेखाशीर्षक, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 104–वृद्ध अशक्त, निर्बल असहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण–03–राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 374 वि॰ अनु–2/02 दिनांक 20 अगस्त 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

( एस. के. मुद्दू )
सचिव

संख्या 779–स.क–03–96(समाज कल्याण)/02 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार, उत्तरांचल माजरा देहरादून
2 निदेशक कोषागार, उत्तरांचल देहरादून
3 वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल
4 जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल
5 वित्त अनुभाग–2
6 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव

स्थापना एवं वित्तीय स्वीकृति

संख्या : /// / XVII(1)-01/2006-11(12)/2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01.

देहरादून, 30 अगस्त 2006.

**विषय : अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बेतालघाट, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल की स्थापना की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1338/स.क./एस.एन.डी.–ए.टी.एस.बेतालघाट/2005–06, दिनांक 12 जुलाई 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु बेतालघाट, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल में 150 छात्र क्षमता के एक उच्चतर माध्यमिक स्तर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना एवं सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु निम्नविवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि, जो भी पूर्व में हो, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिए जाएं, से दिनांक 28 फरवरी 2007 तक के लिए सृजित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| क्रमांक | पद नाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानाध्यापक | 7,500–250–12,000 | 01 |
| 2 | सहायक अध्यापक (एल.टी.) | 5,500–175–9,000 | 10 |
| 3 | मुख्य सहायक | 4,500–125–7,000 | 01 |
| 4 | कम्पाउण्डर/फार्मेसिस्ट | 4,500–125–7,000 | 01 |
| 5 | प्रवर सहायक | 4,000–100–6,000 | 01 |
| 6 | कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर | 3,050–75–4,590 | 01 |
| 7 | कनिष्ठ सहायक सह स्टोर कीपर | 3,050–75–4,590 | 01 |
| | योग | | 16 (सोलह) |

2. चतुर्थ श्रेणी एवं स्वच्छक की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से शासन की स्वीकृति के उपरान्त की जाएगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाएगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई हैं एवं इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। स्वीकृत किए जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

4 इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार राजकीय आश्रम पद्धति [illegible] जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में [illegible] विवरणानुसार कुल रूपये 47,74,000/– (रूपये सैंतालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

| मानक मद | धनराशि (रूपये हजार में) |
|---|---|
| 01–वेतन | 1093 |
| 03–महंगाई भत्ता | 230 |
| 04–यात्रा व्यय | 20 |
| 06–अन्य भत्ते | 97 |
| 08–कार्यालय व्यय | 20 |
| 09–विद्युत देय | 25 |
| 10–जलकर/जलप्रभार | 2 |
| 11–लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई | 10 |
| 17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व | 140 |
| 20–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र | 430 |
| 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 1532 |
| 33–अन्य व्यय | 50 |
| 41–भोजन व्यय | 578 |
| 48–महंगाई वेतन | 547 |
| योग | 4774 |

(रूपये सैंतालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(1) आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वियन के लिए नहीं किया जाए।

(2) उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

(3) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

(4) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक–"8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन" तथा अन्ततः चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के लेखाशीर्षक–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–

277–शिक्षा–06–अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

रा.आ.निधि संख्या–68/XXVII(3)/2006, दिनांक 28 जुलाई 2006 :

प्रतिलिपि : महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल. एम. पन्त)
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII(1)-01/2006-11(12)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तरांचल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ट, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव।

संख्याः 535/स.क.–03–358(समाज कल्याण)/2002

प्रेषक,

आर. के. वर्मा
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तरांचल देहरादून

समाज कल्याण अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 27 फरवरी 03

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2002–03 हेतु जनपद नैनीताल में मालधन चौड, रामनगर तथा जनपद बागेश्वर मुख्यालय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2196/स.क./आई.टी.आई/एस.एन.डी/2002–03 दिनांक 25–10–2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में मालधन चौंड(रामनगर) तथा जनपद बागेश्वर मुख्यालय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उसमें प्रस्तावित निम्नलिखित व्यवसाय(ट्रेड) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मालधन चौड (रामनगर)**

| क.सं. | व्यवसाय का नाम | यूनिट | प्रशिक्षण क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दी आशुलिपि | 01 | 16 |
| 2 | फिटर | 01 | 16 |
| 3 | रेफ्रिजरेशन | 01 | 16 |
| 4 | इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक | 01 | 16 |
| 5 | इलैक्ट्रिशियन | 01 | 16 |
| 6 | मेकेनिक(टैक्ट्रर) | 01 | 16 |
| 7 | वैल्डर | 01 | 16 |

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर**

| क.सं. | व्यवसाय का नाम | यूनिट | प्रशिक्षण क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दी आशुलिपि | 01 | 16 |
| 2 | फिटर | 01 | 16 |
| 3 | इलैक्ट्रिशियन | 01 | 16 |
| 4 | प्लम्बर | 01 | 16 |
| 5 | कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट | 01 | 16 |
| 6 | इलेक्ट्रोनिक मैकेनिक | 01 | 16 |
| 7 | वैल्डर | 01 | 16 |

2— जनपद नैनीताल के मालधन चौड(रामनगर) तथा जनपद बागेश्वर मुख्यालय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्यालय की स्थापना एवं कार्यालय स्टाफ के पदों का सृजन तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग के निर्धारित मानक के अन्तर्गत व्यवसाय के अनुसार प्रशिक्षकों के अस्थाई पदों को निम्न विवरणानुसार उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों का सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि, जो भी पूर्व में हो, वशर्ते की ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिए जाये, से दिनांक 28 फरवरी, 2004 तक के लिए सृजित किए जाने तथा मशीनें, साज सज्जा/उपकरण कय किए जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल रूपये 1,02,00,000/— (रूपये एक करोड दो लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

| क्र. सं. | पद नाम | वेतनमान | संस्थानों के लिए अनुमानित पदों की संख्या | स्वीकृत किए गये कुल पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानाचार्य | 8000—275—13500 | 1 | 2 |
| 2 | कार्यदेशक(फोरमैन) | 6500—200—10500 | 1 | 2 |
| 3 | अनुदेशक | 5500—175—9000 | बागेश्वर के लिए 8 तथा मालधन चौड के लिए 9 | 17 |
| 4 | वरिष्ठ सहायक | 4500—125—7000 | 1 | 2 |
| 5 | वरिष्ठ लिपिक | 4000—100—6000 | 1 | 2 |
| 6 | कनिष्ठ लिपिक | 3050—75—4590 | 2 | 4 |
| 7 | वर्कशाप अटैण्डेन्ट | 2550—55—3200 | 3 | 6 |
| 8 | चपरासी | 2550—55—3200 | 3 | 6 |
| 9 | स्वीपर | 2550—55—3200 | 2 | 4 |
| 10 | चौकीदार | 2550—55—3200 | 3 | 6 |
| | | | 15 | 51 |

3— उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाएगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4— स्वीकृत किए जा रहे पदधारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होगें।

5— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002—03 के अनुदान संख्या—15 के लेखाशीर्षक 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण 01—अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277—शिक्षा, 03—औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन के मानक मद 26—मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6— उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य को यह भी निर्देशित कर दिया जाय कि इकोनोमी मदों में आवश्यक सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय।

7— भारत सरकार, एन.सी.बी.टी द्वारा व्यवसाय के अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप आवश्यक साज सज्जा/उपकरणों के कय में स्टोर परचेज रूल्स का अनुपालन किया जाय उपकरण डी.जी.एस.एन.डी की दरों पर है, उन्हें इन्ही दरों पर शेष को स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर

जारी निर्देशों के अधीन व्यय किया जाय और तद्नुसार कार्यवाही कर एन.सी.बी.टी द्वारा व्यवसाय के अनुसार निर्धारित साज–सज्जा/ उपकरणों की सूची शासन को उपलब्ध कराएं। उपकरणों के क्रय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो शासन को दिनांक 31–3–2003 तक समर्पित कर दी जाएगी।

8– यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुवल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लघंन होता हों। उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता के आधार पर किया जायेगा।

9– उक्त प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता 100 प्रशिक्षणार्थियों की है जिसमें कम से कम 25 सीट छात्राओं हेतु चिन्हित किये गये हैं जिसे आवश्यकतानुसार छात्र–छात्राओं की अधिकतम संख्या के अनुसार घटाया बढाया जा सकता है।

10– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुवल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1802/वित्त अनु–2/03 दिनांक 29मार्च, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( आर. के. वर्मा )
सचिव

संख्या 535(1)/स.क.–03–358(समाज कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तरांचल माजरा देहरादून
2 निजी सचिव मा. मुख्य मंत्री कार्यालय उत्तरांचल देहरादून
3 निजी सचिव मा. मंत्री समाज कल्याण उत्तरांचल देहरादून
4 आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
5 निदेशक, कोषागार लक्ष्मी रोड देहरादून
6 जिलाधिकारी बागेश्वर/नैनीताल
7 जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल/बागेश्वर
8 वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून
9 वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन
10 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

( गरिमा रौंकली )
अनु सचिव।